बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: संकल्प ::

विषय राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन ।

सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में सम्यक विकास हेतु कृत संकल्प है । एक कल्याणकारी सरकार के रूप में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समाज के सभी अत्यंत कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्य करें तथा समाज में सदियों से उपेक्षित और शोषित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास करे । इस परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जातियों के सरक्षण, कल्याण, विकास एवं अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करने के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है ।

2. उक्त उद्देश्य हेतु आयोग का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :-

(क) अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष
(ग) तीन सदस्य

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा ।

3. आयोग के कार्य एवं दायित्व :-

(क) अनुसूचित जातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना ।
(ख) अनुसूचित जातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना ।
(ग) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर आर्थिक और ऐसे अन्य विषयों पर, जैसा उचित समझें, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
(घ) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किए जाएँ, निर्वहन करना ।
(ड.) अन्य कोई विषय, जो सरकार आयोग को सौंपे ।

नोट :-(i) आयोग सरकार के अनुमोदन से आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन के लिए सरकारी विभागों या अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकेगा ।

(ii) आयोग अपने कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना माँगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने हेतु सक्षम होगा ।

(iii) आयोग ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो।

4. (क) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक रहेगा ।

(ख) कोई भी सदस्य अथवा अध्यक्ष राज्य सरकार को सम्बोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकते हैं ।

(ग) राज्य सरकार किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य को उपर्युक्त कारण से (जो बाद में विहित किया जा सकेगा) उनके पद से विमुक्त कर सकती है ।

5. आयोग के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी की सेवा, जो आयोग के हित में हो राज्य सरकार (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) द्वारा उपलबध करायी जाएगी । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को अनुमान्य सुविधाएँ तथा आयोग में पदस्थापित सचिव, अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें सरकार द्वारा बाद में विहित की जाएँगी ।

राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी को आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त/मनोनीत करेगी ।

6. वित्त लेखा एवं अंकेक्षण :– (क) राज्य सरकार (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) अनुदान के रूप में आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराएगी ।

(ख) आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

7. राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रशासी विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होगा ।

आदेश : अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य मंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–11/वि०1–विविध 02/05 का०5614 /पटना–15, दिनांक– 18.11-09

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजन की कृपा करें ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–11/वि०1–विविध 02/05 का०5614 /पटना–15, दिनांक– 18.11-09

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपकमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

विषय–राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्त्तें आदि का निर्धारण।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–5614 दिनांक–18/11/2009 के द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है। इस क्रम में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त्तों का निर्धारण विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भत्ते, सेवाशर्त्तों आदि का निर्धारिण निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है :–

(1) वेतन एवं भत्ते :–

(i) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ता अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग को अनुमान्य होगा।

(ii) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अनुमान्य होगा।

(2) श्रेणी एवं प्रतिष्ठा :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की श्रेणी पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के अध्यक्ष एवं सदस्य के अनुरूप अनुमान्य होंगी।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर मूल सेवा से निवृत्ति :– वैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य जो आयोग में अपनी नियुचित की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार को सेवा में थे, उन्हें आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के रुप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत्त माना जाएगा।

(4) छुट्टी :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित रुप से छुट्टी का हकदार होगा :–

(क) समय–समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी।

(ख) समय–समय पर यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को यथा अनुमान्य असाधारण छुट्टी।

(5) पेंशन :–

(1) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय राज्य सरकार की सेवा में रहें हो अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो, अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा वह था, उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति सुविध प्राप्त करने का हकदार होगा, जो यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसक नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रू में उसके वेतन में से सकल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग रू रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवा निवृत्ति सुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घट दिया जाएगा तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं पृथकतः करने व हकदार होगा।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, यदि वह उपर्युक्त उप कंडिका में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले या जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ के लिए की जाएगी।

(3) ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को कोई पेंशन देय नहीं होगी, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदग्रहण करने के तुरंत पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहा हो।

(6) **भविष्य निधि** :– (1) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसे सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाएँ मिली हुई थी, वह उस निधि में उस तारीख तक अंशदान जारी रख सकेगा, जिस तारीख को वह अपनी मूल सेवा में लागू नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं हो जाता। अंशदायी भविष्य निधि की दशा में, उस निधि में देय नियोजक का अंशदान आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से, उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा देय होगा, जो वह नियुक्ति के तुरंत पहले धारित पद पर प्राप्त कर सकता।

इस के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला सदस्य अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपना विकल्प संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा।

(2) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी नियुक्ति के समय–

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिस सेवा में वह था, उस पर लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा,

(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार का किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले नियंत्रित अन्य प्राधिकार को अधीनस्थ सेवा से निवृत्त हो चुका हो, अथवा,

(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निकाय अथवा सरकार पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकार की सेवा में नहीं रहा हो,

वह अंशदायी भविष्य निधि योजना की प्रसुविधा में सम्मिलित किये जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियमावली, 1962 द्वारा शासित होगा।

(7) (I) (क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में सेवा–शर्त्ते वही होगी, जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को अनुमान्य है, और

(ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में में सेवा शर्त्तें वही होंगी, जो समय–समय पर यथासंशोधित जाँच आयोग/समिति में नियुक्ति होने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन–निर्धारण एवं अन्य शर्त्तों से संबंधित सरकारी अनुदेशों के अधीन अनुमान्य है। अध्यक्ष होने पर समय–समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ता का हकदार होगा।

(ग) सत्कार भत्ता :– आसीन/सेवा निवृत्त अध्यक्ष होने पर समय–समय पर यथा पुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ता का हकदार होगा।

(II) सदस्यों की जिन सेवा–शर्त्तों के अलग स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे वही होगी जो समय–समय पर बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निमित्त लागू होगी।

(8) वाहन सुविधा :–

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण के लिए ए०सी० वाहन अनुमान्य होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण के वाहन पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक–502 दिनांक–8.3.07 के आलोक में ईंधन हेतु प्रतिमाह 250 लीटर पेट्रोल/डीजल अनुमान्य होंगे। साथ–ही सरकारी वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में भाड़े पर सहजता से उपलब्ध होने वाले वातानुकूलित स्कार्पियो/बोलेरो/इंडिगो वाहन अनुमान्य होगा।

(3)

(9) दूरभाष सुविधा :—

आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए मोबाइल कूपन हेतु प्रतिमाह 1500/—रू0 तथा वर्ष में कुल 18000/—रू0 अधिकतम् अनुमान्य होगा।

आयोग के सदस्यों को बेसिक दूरभाष सुविधा अनुमान्य होगा।

(10) समाचार पत्र एवं पत्रिका :—

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को समाचार पत्र एंव पत्रिकाओं पर व्यय हेतु प्रतिमाह रू0 800/— अधिकतम अनुमान्य होगा।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राष्ट्रीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद/बिहार लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राज्य महादलित आयोग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 11/2/11

(गिरीश कुमार वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—2/जी (आयोग) अनु०जाति०जन०आदि-15/2010-22 पटना, दिनांक—11/2/11

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/महालेखाकार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षद को अविलंब सूचित करा दें।

ह0/- 11/2/11

सरकार के अवर सचिव

SANKALP-ST AYOG PAY

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

स्वीकृत्यादेश संख्या–2/जी0 (आयोग) अनु0 जाति–जनजाति–01/2009– 525 पटना, दिनाक– 16.3.2

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों की स्वीकृति।

महाशय,

अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में सम्यक विकास एवं समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समाज के सभी अत्यन्त कमजोर वर्गों के उत्थान तथा समाज में सदियों से उपेक्षित और शोषित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–5614 दिनांक–18.11.2009 द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है।

2– राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सुचारू संचालन एवं दायित्वों के निर्वहन के निमित्त आयोग में निम्नांकित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों को गैर योजनान्तर्गत स्थायी रूप से सृजित करने में राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है :–

क्र0	पद का नाम	वेतनमान/नियत वेतन (पे बैण्ड+ग्रेड पे)	स्वीकृत पद की संख्या
1	2	3	4
1.	सचिव	37000–67000+8700	01 (एक) अपर सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर के
2.	उपसचिव	15600–39100+7600	01 (एक)
3.	अवर सचिव	15600–39100+6600	01 (एक)
4.	प्रशाखा पदाधिकारी	9300–34800+4800	01 (एक)
5.	सहायक	9300–34800+4600	02 (दो)
6.	आशुलिपिक	9300–34800+4600	02 (दो)
7.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5767/–	01 (एक) संविदा के आधार पर
8.	उच्च वर्गीय लिपिक	5200–20200+2400	01 (एक)
9.	निम्न वर्गीय लिपिक	5200–20200+1900	01 (एक)
10.	अनुसेवक	4000/–	05 (पाँच) संविदा के आधार पर
11.	रात्रि प्रहरी	4000/–	01 (एक) संविदा के आधार पर
12.	झाड़ूदार फरास	4000/–	01 (एक) संविदा के आधार पर
		कुल पदों की संख्या	18 (अठारह)

2– उपर्युक्त क्रमांक–2 से 6 तक एवं क्रमांक–8 एवं 9 से उल्लेखित पदों पर स्वीकृत वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा पदस्थापित किया जायगा एवं क्रमांक–7 तथा क्रमांक–10, 11 एवं 12 में उल्लेखित पदों पर नियत वेतन में संविदा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

3– स्थापना पर होनेवाले व्यय विवरणी परिशिष्ट– I में संलग्न है।

4– कंडिका–2 में उल्लेखित पदो के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 54,35,580/– (रूपये चौवन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ अस्सी) मात्र है।

5– उपर्युक्त कंडिका–2 में उल्लेखित पदों के सृजन पर होने वाला व्यय–आय व्ययक शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–माँग संख्या–44–उपशीर्ष–01–अनु0 जाति का कल्याण–लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–0003–राज्य अनुसूचित जाति आयोग–विपत्र कोड–N2225010010003 से विकलनीय होगा।

6– उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7– इसके नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग रहेंगे।

8– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

9– पद सृजन के प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(रवि परमार) 16/3/11

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–2/जी0 (आयोग) अनु0 जाति–जनजाति–01/2009–525 पटना, दिनांक– 16.3.2011

प्रतिलिपि–प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव 16/3/11

ज्ञापांक–2/जी0 (आयोग) अनु0 जाति–जनजाति–01/2009–525 पटना, दिनांक– 16.3.2011

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, बिहार अनुसूचित जाति आयोग, पटना/बजट शाखा/स्थापना शाखा (25 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव 16/3/11

ज्ञापांक–2/जी0 (आयोग) अनु0 जाति–जनजाति–01/2009–525 पटना, दिनांक– 16.3.2011

प्रतिलिपि–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव 16/3/11

143 3/137

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

राज्यादेश सं0–2/जी(आयोग) अनु0 जा0 जन0 ज0 01/2009 2744 दिनांक– 21/12/11

प्रेषक,

सरकार के सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय अनु0 जाति एंव अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणीधीन बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अराजपत्रित पदों की स्वीकृति।

महाशय,

अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में सम्यक विकास, समाज के सभी कमजोर वर्गो के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्य करने इत्यादि के निमित कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभागीय संकल्प सं 5614 दिनांक 18.11.2009 द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग गठन किया गया है।

2 राज्य अनुसूचित जाति आयोग के संचालन एवं दायित्वों के निर्वहन के निमित पूर्व में विभगीय राज्यदेश सं0 525 दिनांक 16.03.11 द्वारा गैर योजनान्तर्गत राज्यपत्रित एवं अराज्यपत्रित पदो का सृजन किये जाने में राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है–

क्र0	पद का नाम	वेतमान/नियत वेतन (पे बैण्ड+ग्रेड पे)	स्वीकृत पदों की सं0	अभ्युिक्ति
1	2	3	4	5
1	आशुलिपिक	5200–20,200 + ग्रेड पे–2400	01(एक)	सचिव के लिये (संविदा के आधार पर)
2	अनुसेवक	4440–7440 + ग्रेड पे–1300	02(दो)	एक पद सचिव के निमित एवं एक पद कार्यालय के लिए (संविदा के आधार पर)

कुल 3(तीन)

2 स्थापना के आधार पर होने वाले व्यय विवरणी परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

3 कंडिका–2 में उल्लेखित पदो के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 5,65,584 (पाँच लाख पैसठ हजार पाँच सौ चौरासी) मात्र है।

4 उपर्युक्त कंडिका–2 मे उल्लेखित पदों का सृजन पर होने वाले व्यय–आय व्ययक शीर्ष–2225–अनु0 जातियों एंव अनु0 जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–माँग सं0–44–उपशीर्ष–01–अनु जाति का कल्याण–लघु शीर्ष–001 और निदेशन और प्रशासन–0001–राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग–विपत्र कोड–N2225010010001 से विकलनीय होगा।

5 उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हैं।

(136) (142)

6 इसके नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, अनु0 जाति एंव अनु जनजाति कल्याण विभाग रहेंगे।

7 इस राशि का निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

8 पद सृजन के प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(रवि परमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/जी(आयोग) अनु0 जा0 जन0 ज0 02/2009– 2744 पटना, दिनांक–22/12/11

प्रतिलिपि–प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/जी(आयोग) अनु0 जा0 जन0 ज0 02/2009– 2744 पटना, दिनांक–22/12/11

प्रतिलिपि–माननीय भंत्री आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/प्रधान सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अनु0 जाति आयोग, पटना/बजट शाखा/स्थापना शाखा(25 अतिरिक्त प्रतियों सहित)/लेखा–शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/जी(आयोग) अनु0 जा0 जन0 ज0 02/2009– 2744 पटना, दिनांक–22/12/11

प्रतिलिपि–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
22/12/11

state st commission rule